SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में

2021-22

सत्यमेव जयते

हरियाणा सरकार



लेखे एक दृष्टि में

2021-22

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

हरियाणा सरकार

प्रस्तावना

वर्ष 2021-22 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के चौबीसवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है जो सरकारी कार्यकलापों जैसा कि वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है।

वित्त लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त विवरणियां हैं। विनियोग लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन, मेरे कार्यालय द्वारा वार्षिक वित्त तथा विनियोग लेखों को राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किया जाता है।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिस से संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा रहेगी।

शैलेन्द्र विक्रम सिंह

दिनांकः 19 दिसम्बर 2022
स्थानः चण्डीगढ़

(शैलेन्द्र विक्रम सिंह)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत् अग्रसर हैं तथा लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समयबद्ध प्रतिवेदन हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सुशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों:

विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता -

को इस बात का स्वतंत्र आश्वासन देते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्य

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु निर्देश चिन्ह प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	**अधिदृष्टि**	
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	4
1.4	निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग	6
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005	9
अध्याय 2	**प्राप्तियाँ**	
2.1	भूमिका	12
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	12
2.3	कर राजस्व	14
2.4	कर संग्रहण पर लागत	17
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पाँच वर्षों के रूझान	17
2.6	सहायतानुदान	18
2.7	लोक ऋण	19
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1	भूमिका	20
3.2	राजस्व व्यय	20
3.3	पूंजीगत व्यय	23
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	26
अध्याय 4	**विनियोग लेखे**	
4.1	वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखों का सारांश	27
4.2	विगत पाँच वर्षों मे बचत/ आधिक्य के रूझान	27
4.3	महत्वपूर्ण बचतें	28

पृष्ठ संख्या

अध्याय 5	**परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व**	
5.1	परिसम्पत्तियाँ	31
5.2	ऋण तथा दायित्व	32
5.3	गारंटियाँ	33
अध्याय 6	**अन्य मदें**	
6.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	34
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	34
6.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तिय सहायता	34
6.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	36
6.5	प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	36
6.6	लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों द्वारा लेखों का प्रेषण	36
6.7	असमायोजित सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल	36
6.8	उचंत तथा प्रेषण शेष	37
6.9	सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू. सी.) प्राप्त न होना	37
6.10	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	38
6.11	व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों को धन का हस्तांतरण	38
6.12	आरक्षित निधियों की स्थिति	39

अध्याय-1

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा सामग्री को संग्रहित, वर्गीकृत एवं संकलित करके हरियाणा सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य करता है। यह संकलन, 24 कोषालयों, 117 लोक निर्माण मण्डलों (59 भवन तथा सडकें, 58 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मण्डल), 40 वन मण्डलों, 86 सिंचाई मण्डलों, 38 वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित संज्ञापनों से किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा हरियाणा सरकार के समक्ष प्रतिमाह एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों एवं व्यय की गुणवता के बारे में त्रैमासिक मूल्यांकन टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे भी तैयार करता है जिन्हें महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा द्वारा लेखा–परीक्षण करने तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

सरकारी लेखों की संरचना

भाग-1
समेकित निधि

कर तथा गैर-कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्व, उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि में जमा होते हैं। प्रदत्त ऋण तथा लिए गए ऋणों की वापसी (ब्याज सहित) सहित सरकार के समस्त व्ययों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।

भाग-2
आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय की पूर्त्ति हेतु राज्यपाल के अधिकार में रखा गया है। निधि की प्रतिपूर्त्ति, बाद में, इस प्रकार के व्यय को भाग-1 में दिए सम्बन्धित मुख्य शीर्ष को नामे करके की जाती है।

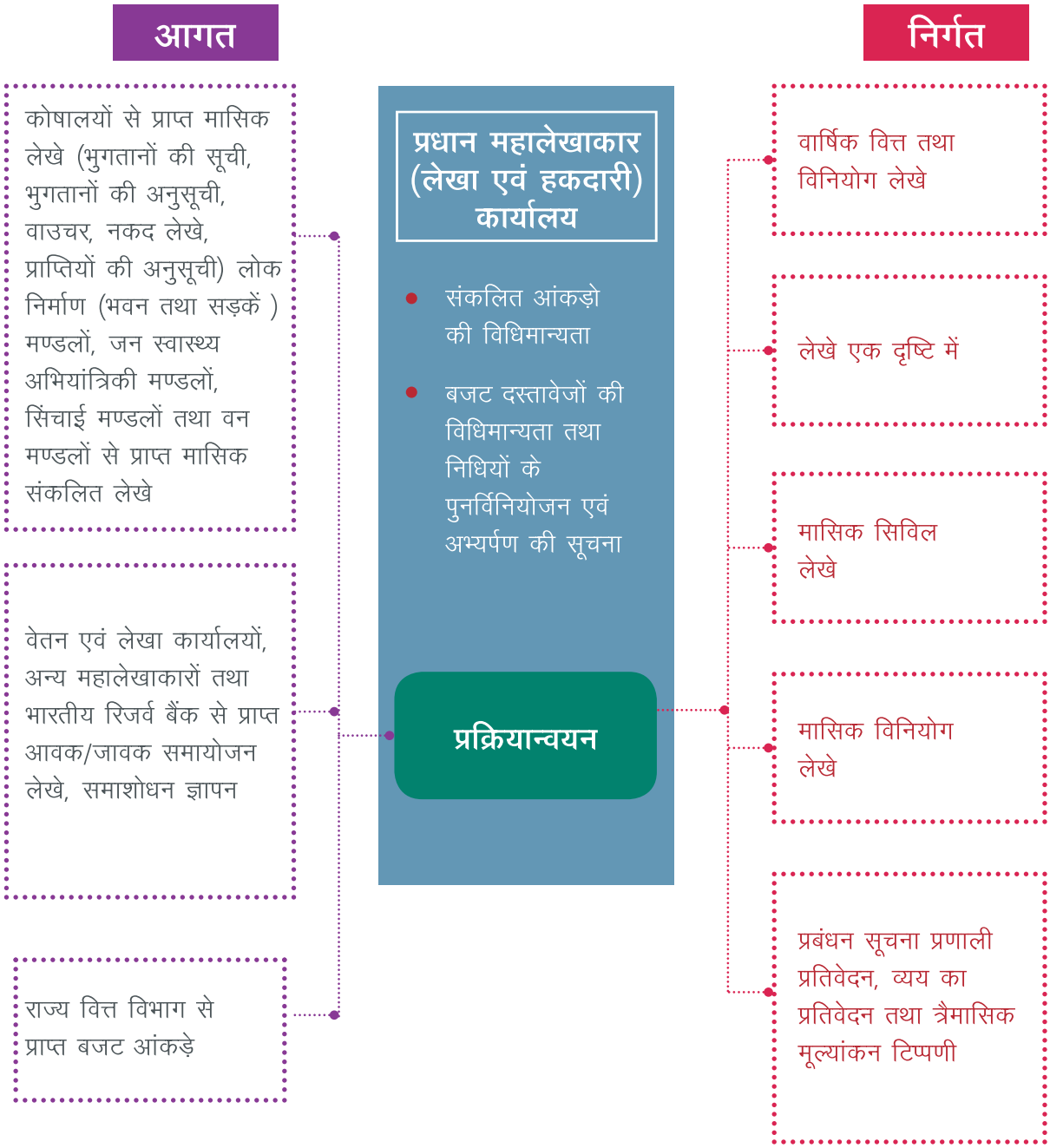
हरियाणा सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 1,000.00 करोड़ है।

भाग-3
लोक लेखा

सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहाँ सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है (जिनके सम्बन्ध में सरकार धन वापिस देने का दायित्व लेती है या भुगतान की गई राशियों को वसूल करने का दावा कर सकती है) लोक लेखा में जमा होते हैं। लोक लेखा में ऋण (भाग-1 में शामिल ऋणों के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंत शीर्षों से सम्बन्धित लेन-देन सम्मिलित हैं। इन शीर्षों में प्रारंभिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे लेखा परिमण्डल में सदृश प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखों के अंतिम शीर्षों में दर्ज करके किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

लेखे संकलन हेतु प्रवाह आरेख



1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखों में, लेखों में अभिलेखित, राजस्व तथा पूँजीगत लेखों, लोक ऋण तथा लोक-लेखा शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ, उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियाँ तथा संवितरण इंगित किये जाते हैं। वित्त लेखे को दो खण्डों में तैयार किया जाता है। वित्त-लेखे के खण्ड-I में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, वित्त लेखों की मार्गदर्शिका, चालू वित्त वर्ष की सकल वित्तीय स्थिति/प्राप्तियों तथा संवितरणों की 13 संक्षिप्त विवरणियाँ एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों, लेखों तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ' सम्मिलित हैं। खण्ड-II में, 9 विस्तृत विवरणियाँ (भाग- I) तथा 13 परिशिष्ट (भाग- II) सम्मिलित हैं।

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतु, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों को पर्याप्त निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। लेखा-महानियंत्रक के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत सरकार ने, हरियाणा के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर ₹ 7,452 करोड़ की राशि जारी की। क्योंकि ये निधियाँ राज्य सरकार के बजट के माध्यम से नहीं आई, इन्हें राज्य सरकार के लेखों में नहीं दर्शाया गया है। इन अन्तरणों को वित्त-लेखे के खण्ड-II के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 वर्ष 2021-22 की वित्तीय झलकियाँ

वर्ष 2021-22 के वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा बजट अनुमानों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

क्रम संख्या	घटक	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़ों की जी.एस.डी.पी. से प्रतिशतता(घ)
1.	कर राजस्व (संघीय भाग सहित) (क)	60,162	63,099	105	7
2.	गैर कर राजस्व	10,851	7,394	68	1
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	16,720	7,598	45	1
4.	*राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)*	87,733	78,091(ग)	89	9
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	747	500	67	..*
6.	अन्य प्राप्तियाँ	5,000	67	1	..*
7.	उधारी एवं अन्य दायित्व (ख)	34,004	31,779	93	4
8.	*पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)*	39,751	32,346	81	4
9.	*कुल प्राप्तियाँ (4+8)*	1,27,484	1,10,437	87	12
10.	*राजस्व व्यय*	1,33,116	98,425	74	11
11.	ब्याज अदायगियों पर व्यय (राजस्व व्यय में से)	19,776	18,362	93	2
12.	*पूँजीगत व्यय*	14,028	11,046	79	1
13.	*ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण*	2,128	966	45	..*
14.	*कुल व्यय (10+12+13)*	1,49,272	1,10,437	74	12
15.	*राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-) (4-10)*	(-)45,383	(-)20,334(ग)	45	2
16.	*राजकोीय घाटा (4+5+6-14)*	(-)55,792	(-)31,779(ग)	57	4
17.	*प्राथमिक घाटा (11+16)*	(-)36,016	(-)13,417(ग)	37	2

(क) इसमें राज्य सरकार को नियत ₹ 9,722 करोड़ का निवल (कर) प्राप्तियों का भाग शामिल है (राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियाँ ₹ 53,377 करोड. थी जो कि जी. एस. डी. पी. का 6 प्रतिशत थी)।

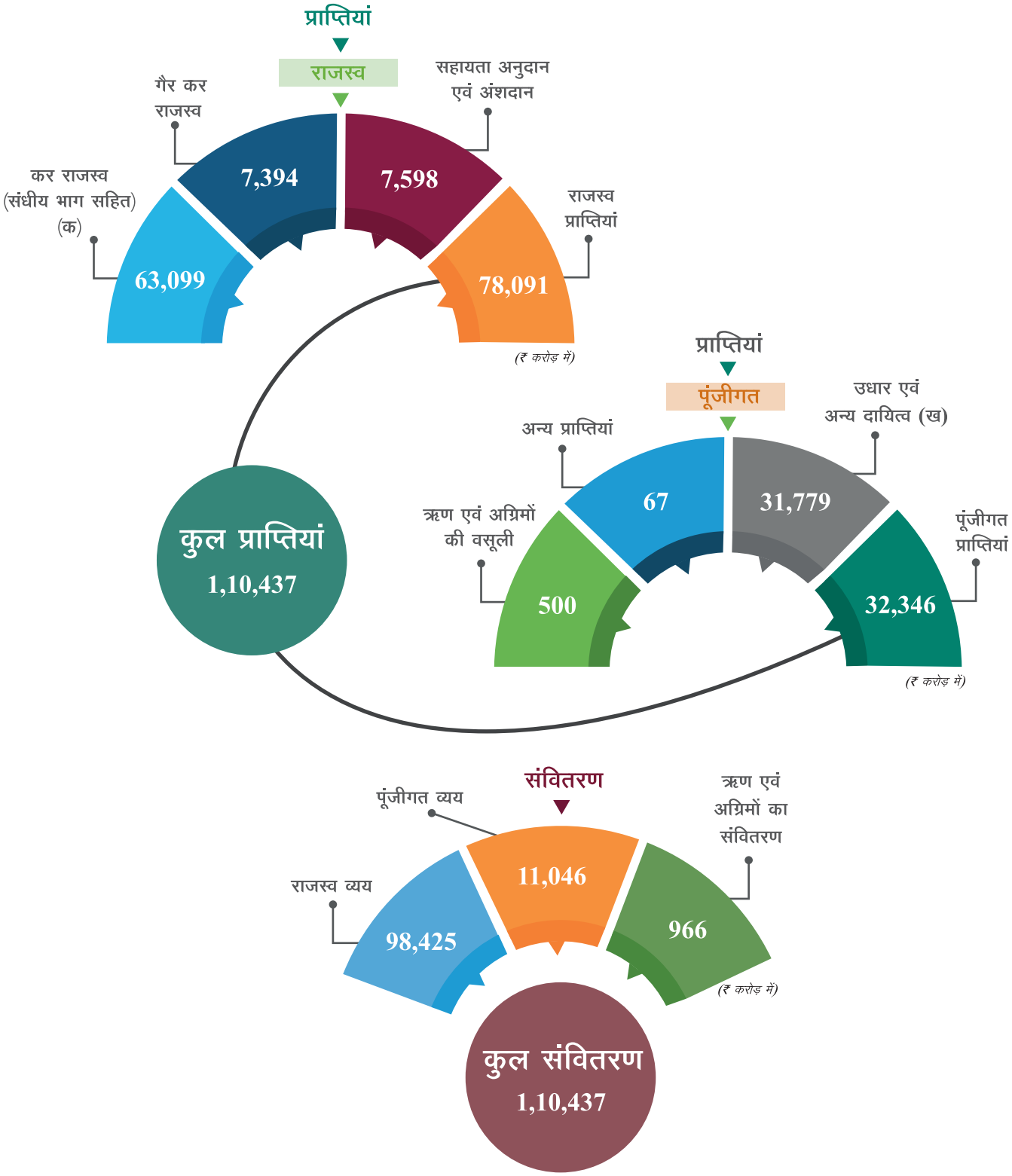
(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + लोक लेखा की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + रोकड़ के आरंभिक व अंतिम शेष का निवल।

(ग) पूर्णांकन के कारण वास्तविक ऑकड़ों से ₹ 1 करोड़ का अंतर है।

(घ) सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹ 8,95,671 करोड़) वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार आर्थिक एवं साख्यांकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा सरकार से लिए गये हैं तथा यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

* *प्रतिशतता न के बराबर है इसलिए इसे .. से दर्शाया गया है।*

वर्ष 2021-22 की प्राप्तियाँ व संवितरण



(क) इसमें राज्य सरकार को नियत ₹ 9,722 करोड़ का निवल (कर) प्राप्तियों का भाग शामिल है (राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियाँ ₹ 53,377 करोड. थी जो कि जी. एस. डी. पी. का 6 प्रतिशत थी)।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + लोक लेखा की निवल राशि (प्राप्तियाँ - संवितरण) + रोकड़ के आरंभिक व अंतिम शेष का निवल।

1.3.3 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं तथा अनुदानों / प्रभारित विनियोगों के प्रति व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं। समेकित निधि से, भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य तथा विधान मण्डल के प्राधिकरण के अतिरिक्त, कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ व्यय (जैसे संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋणों की पुर्नदायगियाँ इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल के अनुमोदन के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित किए जाते हैं। हरियाणा के बजट में 18 प्रभारित विनियोजन तथा 45 दत्तमत अनुदान हैं।

1.3.4 बजट अनुमानों की कार्य कुशलता

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के मुकाबले हरियाणा सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत, व्यय में कटौती के कारण ₹ 45,527.30 करोड़ (₹ 1,95,689.45 करोड़ के बजट अनुमानों का 23.27 *प्रतिशत*) की सकल बचत तथा व्यय में कटौती होने पर ₹ 4,003.55 करोड़ (₹ 18,255.87 करोड़ के बजट अनुमानों का 21.93 *प्रतिशत*) के अधिक अनुमानों को दर्शाया गया है। ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास, स्थानीय शासन, खाद्य एवं पूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि से सम्बन्धित कुछ अनुदानों के अर्न्तगत प्रचुर बचतें प्रदर्शित की गई हैं।

1.4 निधियों के स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, हरियाणा सरकार ने ₹ 2,775.83 करोड़ की राशि अर्थोपाय अग्रिम के तौर पर ली तथा उसे इसी वर्ष के दौरान वापिस कर दिया, अतः वर्ष के अन्त में शेष शून्य था।

1.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लेने के बावजूद यदि कमी बनी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष लिया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य ने ₹ 22.79 करोड़ का अधिविकर्ष लिया, हालांकि इसे वर्ष के दौरान वापिस कर दिया, अतः वर्ष के अन्त में शेष शून्य था।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरणी

वर्ष 2021-22 में राज्य का राजस्व-घाटा ₹ 20,333 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹ 31,778 करोड़ था। राजकोषीय घाटे की पूर्ति, निवल लोक ऋण (₹ 29,633 करोड़), लोक लेखा में बढौतरी (₹ 2,237 करोड़) तथा नगद शेष में बढौतरी {₹ (-) 92 करोड़} द्वारा की गई। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 78,092 करोड़) का लगभग 67 *प्रतिशत,* वेतन (₹ 23,441 करोड़) ब्याज-अदायगियाँ (₹ 18,362 करोड़) तथा पेंशन (₹ 10,617 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्ययों पर खर्च हुआ।

निधियों के स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

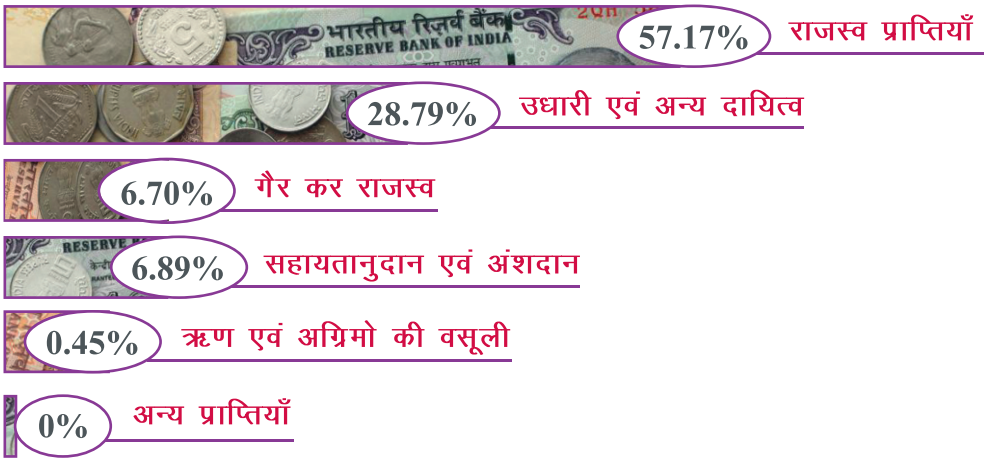
विवरण	राशि
स्त्रोत	
01 अप्रैल 2021 को आरंभिक रोकड़ शेष	(-)463
राजस्व प्राप्तियाँ	78,092
पूँजीगत प्राप्तियाँ	67
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	500
लोक ऋण	55,106
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3,569
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ	1,669
जमा प्राप्तियाँ	38,077
सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	..
उचन्त लेखे	88,404*
प्रेषण	10,992
आकस्मिकता निधि	..
पूर्णांकन के कारण	1
जोड़	2,76,014
अनुप्रयोग	
राजस्व व्यय	98,425
पूँजीगत व्यय	11,046
प्रदत्त ऋण	966
लोक ऋणों का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय अग्रिम सहित)	25,473
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3,172
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ	1,316
जमा का पुनर्भुगतान	35,824
प्रदत्त सिविल अग्रिम	..
उचन्त लेखे	89,172**
प्रेषण	10,991
31 मार्च 2022 को अन्तिम रोकड़ शेष	(-)371
जोड़	2,76,014

* *₹ 87,037 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा के सम्मिलित है।*

** *₹ 88,069 करोड़ रोकड़ शेष निवेश लेखा के सम्मिलित है।*

1.4.4 ₹ कहाँ से आया ?

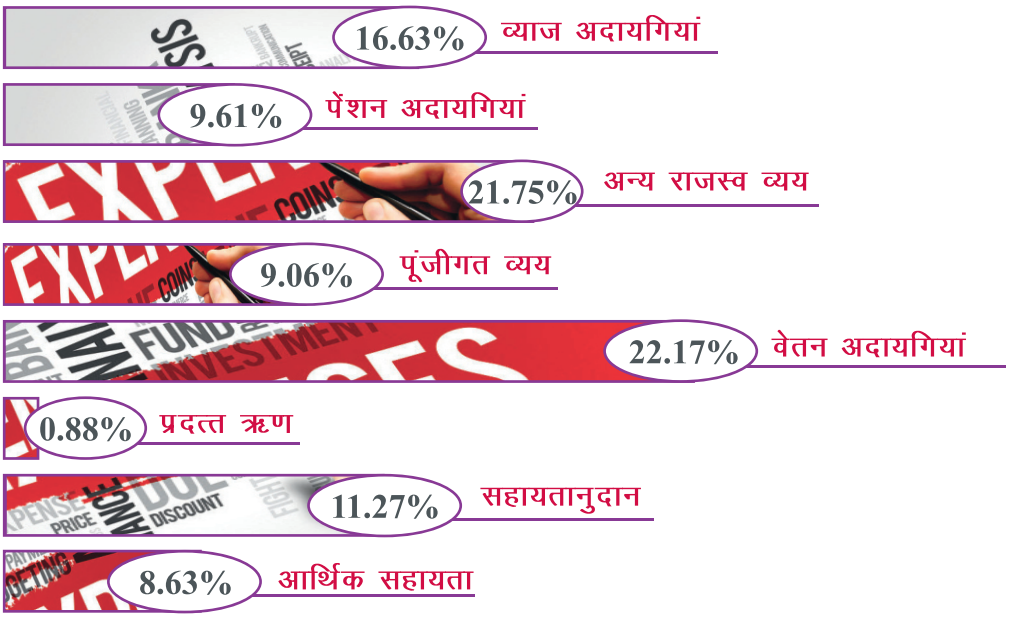
वास्तविक प्राप्तियाँ



(अन्य प्राप्तियों की राशि न के बराबर थी अतःशून्य दर्शायी गयी है)

1.4.5 ₹ कहाँ गया ?

वास्तविक व्यय



वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 20,333 करोड़ का राजस्व घाटा (वर्ष 2020-21 में ₹ 22,385 करोड़ घाटा) तथा ₹ 31,778 करोड़ का राजकोषीय घाटा (वर्ष 2020-21 में ₹ 29,486 करोड़ घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2.27 *प्रतिशत* तथा 3.55 *प्रतिशत* है। राजकोषीय घाटा सकल व्यय का 28.77 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?

घाटा

राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषण कैसे हो तथा निधियों का अनुपयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व घाटा / आधिक्य

राजस्व प्राप्तियाँ तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रख-रखाव हेतु होती है तथा आदर्श स्वरूप, इसे राजस्व प्राप्तियों से ही पूर्णतया वहन किया जाना चाहिये।

राजकोषीय घाटा /आधिक्य

सकल प्राप्तियों (उधारियों के बिना) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है। इसलिए, यह अन्तर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित किया गया और आदर्श स्वरूप इसे पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन का आंकलन करने के मुख्य मापदण्ड हैं। हरियाणा सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया है। इस अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में नियत राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था।

पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित लक्ष्य तथा लेखों में दर्शाए अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं :

क्रम संख्या	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक *(₹ करोड़ में)*	जी.एस.डी.पी. का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	20,333	शून्य	2.27 (लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ)
2	राजकोषीय घाटा	31,778	4.00 या कम	3.55 (लक्ष्य प्राप्त किया गया)
3	परादेय ऋण**	2,63,951	31.20 या कम	29.47 (लक्ष्य प्राप्त किया गया)

* *सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े (₹ 8,95,671 करोड़) वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार से लिए गये तथा यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।*

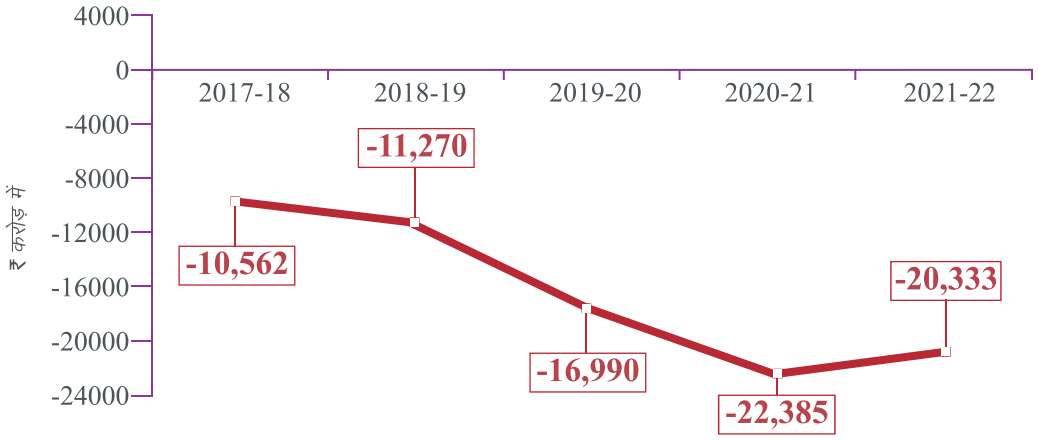
** *परादेय ऋण में सभी ऋण तथा अन्य दायित्व शामिल हैं परन्तु भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस. /2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के अनुसार, इस ऋण में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में बैक टू बैक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 11,746 करोड़ शामिल नही हैं।*

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005 की धारा 5 के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 2021-22 के राज्य के बजट के साथ मध्यम अवधि की वित्तीय नीति तथा रणनीति विवरणी को प्रस्तुत किया।

राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2020-21 में ₹ 22,385 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 20,333 करोड़ था जोकि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नही था। वर्ष 2020-21 में ₹ 29,486 करोड़ के राजकोषीय घाटे में ₹ 2,292 करोड़ की बढ़ौतरी के कारण, चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा ₹ 31,778 करोड़ रहा। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.55 *प्रतिशत* था जो कि विनिर्दिष्ट वित्तीय लक्ष्यों की पुष्टि करता है। वर्ष 2021-22 तक परादेय ऋण (दायित्वों सहित) को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 31.20 *प्रतिशत* तक कम करने की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुकाबले 31 मार्च 2022 को परादेय ऋण (दायित्वों सहित) ₹ 2,63,951 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.47 *प्रतिशत* है।

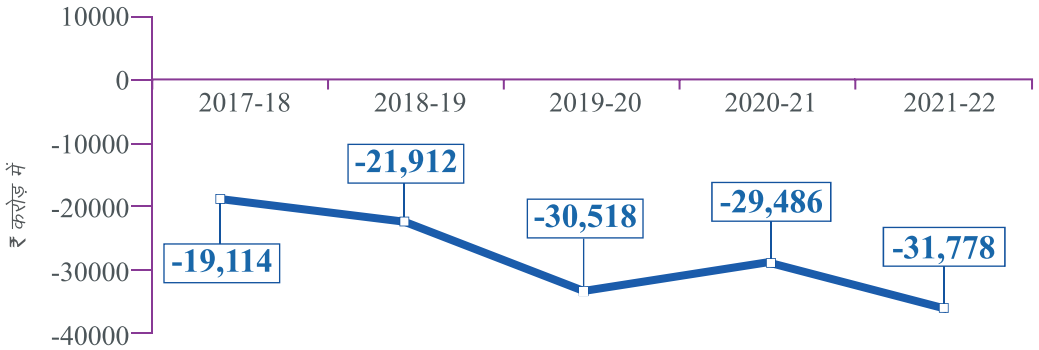
1.5.1 राजस्व घाटे / आधिक्य के रूझान

राजस्व घाटे / आधिक्य के रूझान



1.5.2 राजकाषीय घाटे के रूझान

राजकोषीय घाटे के रूझान

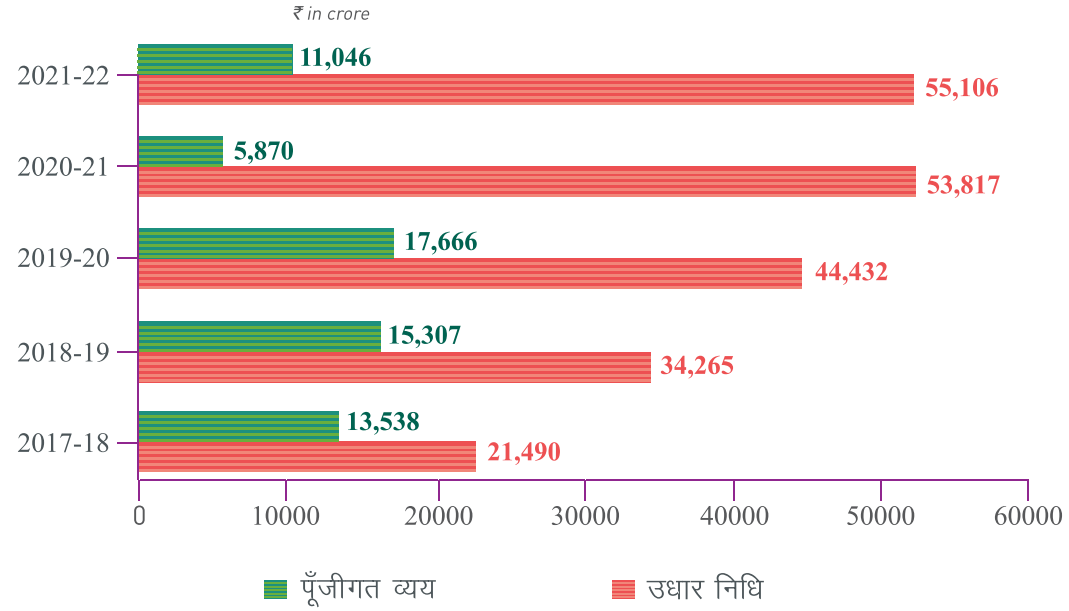


1.5.3 उधार निधि से पूँजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूँजीगत व्यय
2017-18	21,490	13,538
2018-19	34,265	15,307
2019-20	44,432	17,666
2020-21	53,817	5,870
2021-22	55,106	11,046

उधार निधि से पूंजीगत व्यय की तुलना



सामान्यतः सरकार राजकोषीय घाटे पर चलती है तथा पूँजीगत /परिसम्पतियाँ बनाने के लिए तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ाँचे के निर्माण के लिए ऋण लेती है ताकि उधारी द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर अदायगी कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु उधारी के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों का इस्तेमाल अपेक्षित है। परन्तु राज्य सरकार चालू वर्ष में उधारी (₹ 55,106 करोड़) का केवल 20 *प्रतिशत* पूँजीगत व्यय (₹ 11,046 करोड़) पर तथा 2 *प्रतिशत,* राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिमों (₹ 966 करोड़) पर खर्च कर पाई। अतः यह प्रतीत होता है कि लोक ऋण में उधारी का 78 *प्रतिशत* (₹ 43,094 करोड़), पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन (₹ 25,473 करोड़) और ब्याज अंश के पुर्नभुगतान तथा चालू वर्ष में व्यय के प्रति राजस्व की आवधिक कमी को पूरा करने हेतु, उपयोग किया गया।

अध्याय-2

प्राप्तियाँ

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूँजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,10,437 करोड़ थी ।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

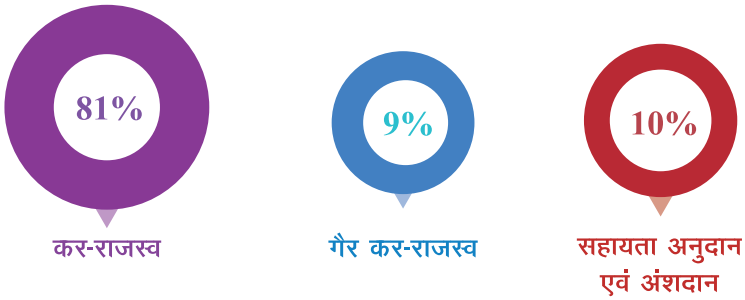
सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं : कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार से प्राप्त सहायतानुदान।

कर राजस्व — राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।

गैर कर-राजस्व — ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि सम्मिलित होते हैं।

सहायतानुदान — सहायतानुदान, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं। इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से जारी ''बाह्य सहायतानुदान'' तथा ''सहायता, सहायता-सामग्री व उपकरण'' भी शामिल हैं। बदले में, राज्य-सरकार भी पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त निकायों इत्यादि संस्थानों को सहायतानुदान देती है।

राजस्व-प्राप्तियाँ



2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2021-22)

घटक		वास्तविक आंकडे (₹ करोड़ में)	राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
क.	*कर-राजस्व*	**63,099**	**81**
	वस्तु तथा सेवा कर	25,685	33
	आय व व्यय पर कर	5,721	7
	सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	7,620	10
	वस्तुओं व सेवाओं पर कर	24,073	31
ख.	*गैर कर-राजस्व*	**7,395**	**9**
	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	2,386	3
	सामान्य सेवाएँ	622	1
	सामाजिक सेवाएँ	1,866	2
	आर्थिक सेवाएँ	2,521	3
ग.	*सहायता अनुदान एवं अंशदान*	**7,598**	**10**
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**78,092**	**100**

** इसमें भारत सरकार से प्राप्त राज्य का निवल आगम का भाग सम्मिढलत है ।*

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों के रूझान

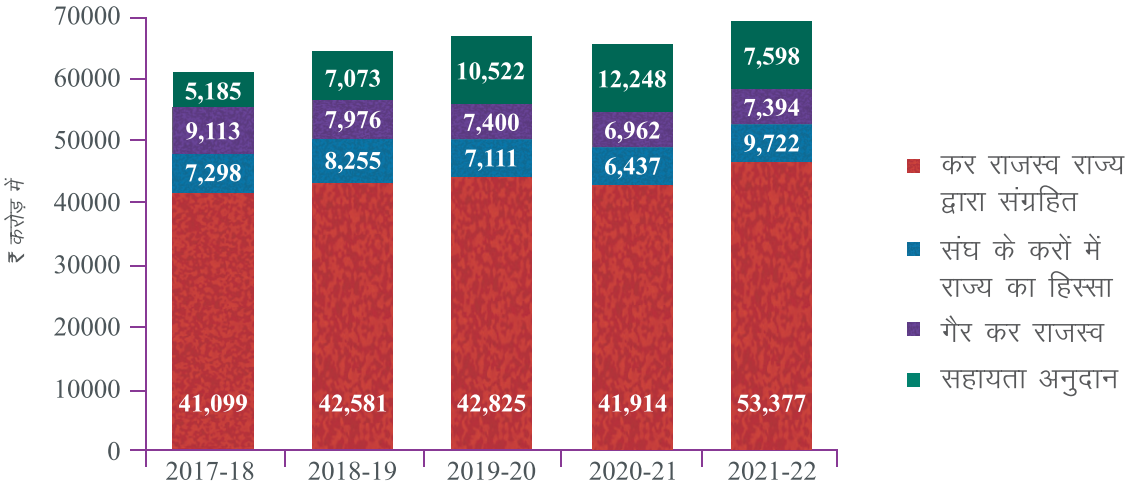
(₹ करोड़ में)

घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कर राजस्व (राज्य द्वारा संग्रहित)	41,099 (7)	42,581 (6)	42,825 (5)	41,914 (5)	53,377 (6)
संघ के करों/ शुल्कों में राज्य का हिस्सा	7,298 (1)	8,255 (1)	7,111 (1)	6,437 (1)	9,722 (1)
गैर कर-राजस्व	9,113 (1)	7,976 (1)	7,400 (1)	6,962 (1)	7,394 (1)
सहायता अनुदान	5,185 (1)	7,073 (1)	10,522 (1)	12,248 (2)	7,598 (1)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**62,695 (10)**	**65,885 (9)**	**67,858 (8)**	**67,561 (9)**	**78,091(क) (9)**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**6,08,471**	**7,07,126**	**8,31,610**	**7,64,872**	**8,95,671**

(क) वास्तविक राजस्व प्राप्तियों से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।
टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।
वर्ष 2021-22 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्तमान दरों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार आर्थिक एवं साख्यांकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा द्वारा सूचित किए गए है।

हांलाकि वर्ष 2021-22 में, पिछले वर्ष के मुकाबले, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 17.10 *प्रतिशत* की बढ़ौतरी हुई परन्तु राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि केवल 15.59 *प्रतिशत* थी। पिछले वर्ष के मुकाबले, कुल कर राजस्व (संघीय करों के हिस्से सहित) 30.50 *प्रतिशत* तक बढ़ा जबकि गैर कर-राजस्वों में 6.21 *प्रतिशत* तक की बढ़ौतरी देखी गयी परन्तु सहायतानुदान में 37.97 *प्रतिशत* की कमी हुई।

राजस्व प्राप्तियों के घटकों के रूझान



2.3 कर राजस्व

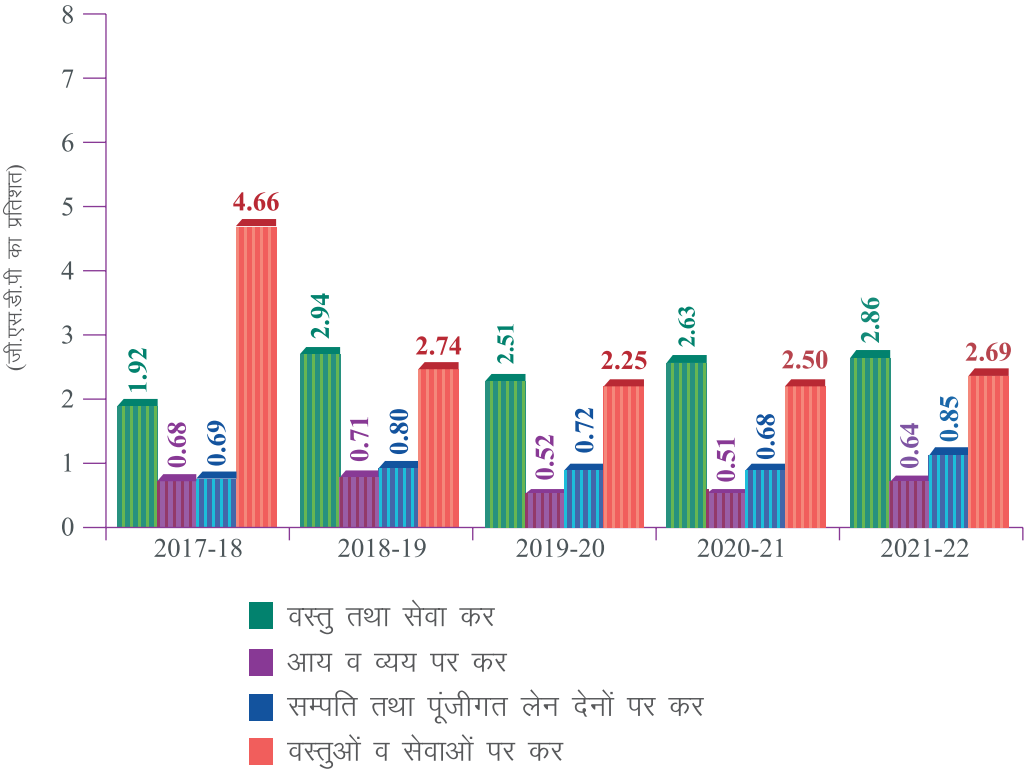
(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार कर राजस्व					
घटक	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
क. वस्तु तथा सेवा कर	11,675 (1.92)	20,813 (2.94)	20,891 (2.51)	20,143 (2.63)	25,685 (2.86)
ख. आय व व्यय पर कर	4,124 (0.68)	5,000 (0.71)	4,324 (0.52)	3,943 (0.51)	5,721 (0.64)
ग. सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	4,210 (0.69)	5,656 (0.80)	6,034 (0.72)	5,173 (0.68)	7,620 (0.85)
घ. वस्तुओं व सेवाओं पर कर	28,388 (4.66)	19,367 (2.74)	18,687 (2.25)	19,092 (2.50)	24,073 (2.69)
कुल कर राजस्व	**48,397 (7.95)**	**50,836 (7.19)**	**49,936 (6.00)**	**48,351 (6.32)**	**63,099 (7.04)**
जी. एस. डी. पी.	6,08,471	7,07,126	8,31,610	7,64,872	8,95,671

नोटः कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता को दर्शाते है।

वर्ष 2021-22 में सकल कर राजस्व में बढ़ौतरी मुख्यतः भारत सरकार से राज्य के हिस्से के अधिक आबंटन जैसे कि निगम कर (₹900 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹879 करोड़), केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) (₹856 करोड़), सीमा- शुल्क (₹371 करोड़) तथा राज्य वस्तु तथा सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) (₹4,686 करोड़),बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹2,561 करोड़), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹2,441 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹1,069 करोड़) तथा वाहनों पर कर (₹770 करोड़) इत्यादि के तहत अधिक संग्रहण के कारण हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों के रूझान



2.3.1 राज्य के निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश

राज्य सरकार को कर राजस्व मुख्यतः दो स्त्रोतों से आता हैः राज्य का निजी कर संग्रहण तथा संघीय करों का अन्तरण।

वर्ष	कर राजस्व (₹ करोड़ में)	संघीय करों / शुल्कों में राज्य का अंश (₹ करोड़ में)	राज्य का निजी कर राजस्व	
			कर राजस्व (₹ करोड़ में)	जी. एस. डी. पी. से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017-18	48,397	7,298	41,099	6.75
2018-19	50,836	8,255	42,581	6.02
2019-20	49,936	7,111	42,825	5.15
2020-21	48,351	6,437	41,914	5.48
2021-22	63,099	9,722	53,377	5.96

निम्न तालिका में पिछले पाँच वर्षों के दौरान दो स्त्रोतों से प्राप्त कर राजस्व को तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य का निजी कर संग्रहण	41,099	42,581	42,825	41,914	53,377
संघीय करों का अन्तरण	7,298	8,255	7,111	6,437	9,722
सकल कर राजस्व	**48,397**	**50,836**	**49,936**	**48,351**	**63,099**
राज्य के निजी कर की सकल कर राजस्व से प्रतिशतता	85	84	86	87	85

राज्य के निजी कर संग्रहण का सकल कर राजस्व से अनुपात वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में घटकर 84 *प्रतिशत* हो गया, वर्ष 2019-20 में बढ़कर 86 *प्रतिशत*, वर्ष 2020-21 में 87 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2021-22 में घटकर 85 *प्रतिशत* हो गया।

2.3.2 पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण के रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1. राज्य वस्तु तथा सेवा कर	10,833	18,613	18,873	18,236	22,922
2. भूमि राजस्व	18	19	20	17	21
3. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4,192	5,636	6,013	5,157	7,598
4. राज्य उत्पाद शुल्क	4,966	6,042	6,323	6,864	7,933
5. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	15,609	8,998	8,398	8,660	11,221
6. वाहनों पर कर	2,778	2,908	2,916	2,495	3,265
7. वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	2,317	21	16	4	6
8. विद्युत कर तथा शुल्क	306	337	262	476	404
9. अन्य कर	79	7	4	5	6
कुलः राज्य के निजी कर	**41,099**	**42,581**	**42,825**	**41,914**	**53,376 (क)**

(क) वास्तविक राज्य के निजी कर संग्रहण से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

2.4 कर संग्रहण पर लागत

(₹ करोड़ में)

कर	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व संग्रहण	15,609	8,998	8,398	8,660	11,221
संग्रहण पर व्यय	148	151	172	207	208
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.95	1.68	2.05	2.39	1.85
2. राज्य उत्पाद शुल्क					
राजस्व संग्रहण	4,966	6,042	6,323	6,864	7,933
संग्रहण पर व्यय	42	38	47	53	52
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.85	0.63	0.74	0.77	0.66
3. वाहन, माल एवं यात्री कर					
राजस्व संग्रहण	5,095	2,929	2,932	2,499	3,271
संग्रहण पर व्यय	38	56	58	77	74
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.75	1.91	1.98	3.08	2.26
4. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व संग्रहण	4,192	5,636	6,013	5,157	7,598
संग्रहण पर व्यय	10	9	10	9	22
कर संग्रहण पर लागत की प्रतिशतता	0.24	0.16	0.17	0.17	0.29

अन्य करों के संग्रहण पर व्यय के मुकाबले, बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा वाहन, माल तथा यात्री कर के संग्रहण पर व्यय अत्यधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पाँच वर्षों के रूझान

(₹ करोड़ में)

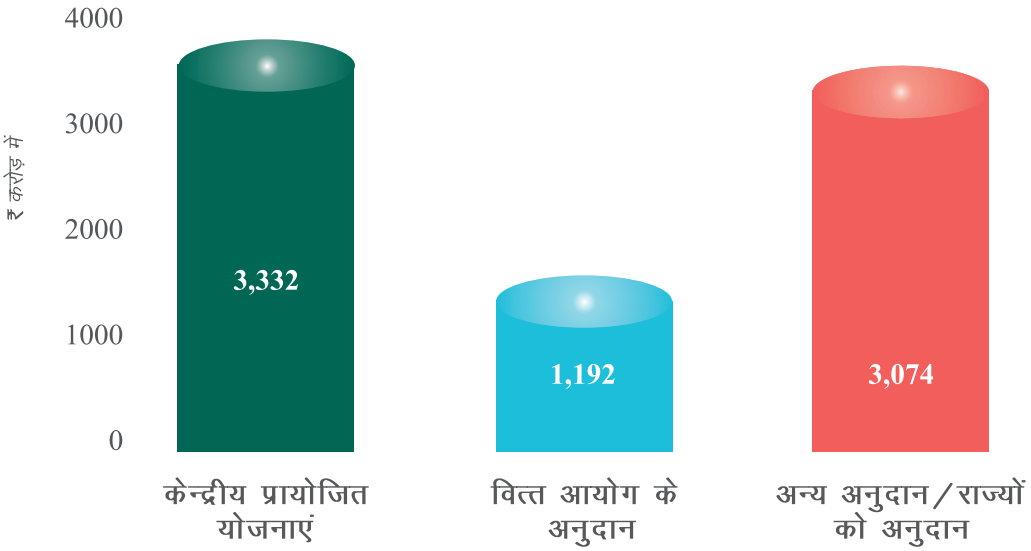
विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर	105	2,038	2018	1,907	2,763
एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर	737	163	शून्य	शून्य	शून्य
निगम कर	2,236	2,871	2425	1,947	2,846
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	1,888	2,114	1900	1,996	2,875
आय और व्यय पर अन्य कर	शून्य	15	शून्य	शून्य	शून्य
सम्पत्ति कर	शून्य	1	शून्य	शून्य	1
सीमा शुल्क	737	585	451	338	709
संघीय आबकारी शुल्क	770	389	313	216	390
सेवा कर	825	75	शून्य	28	128
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	शून्य	4	4	5	10
संघीय करों /शुल्कों में राज्य का अंश	7,298	8,255	7,111	6,437	9,722
कुल कर राजस्व	**48,397**	**50,836**	**49,936**	**48,351**	**63,099**
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	15	16	14	13	15

हरियाणा सरकार को वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, कुल कर राजस्व का 13 प्रतिशत से 16 प्रतिशत हिस्सा, सभी बांटने योग्य संघीय करों की निवल आगम से प्राप्त हो रहा है।

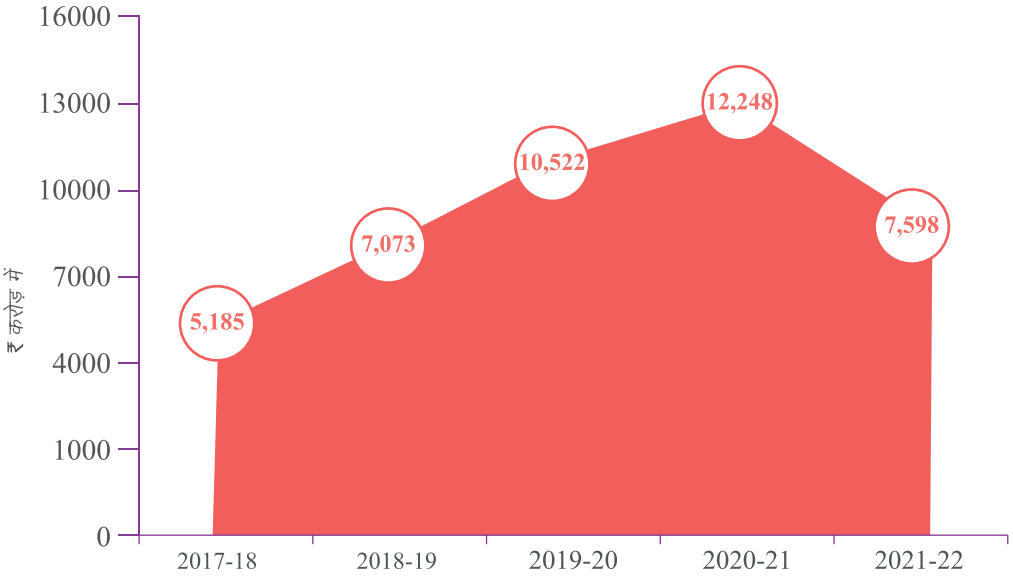
2.6 सहायतानुदान

सहायतानुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें नीति आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य अनुदान समाहित हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान सहायतानुदान के अधीन कुल प्राप्तियाँ ₹ 7,598 करोड़ थी जैसा कि निम्न दर्शाया गया है :

सहायतानुदान



सहायता अनुदान के रूझान



2.7 लोक ऋण

पिछले पाँच वर्षों में लोक ऋण के रूझान

₹ करोड़ में

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आन्तरिक ऋण	1,37,813	1,54,968	1,83,786	2,03,958	2,26,208
केन्द्रीय ऋण	1,941	1,867	1,705	1,500*	1,489**
कुल जोड़	1,39,754	1,56,835	1,85,491	2,05,458	2,27,697

टिप्पणीः केन्द्रीय ऋणों में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस. /2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के द्वारा बैक टू बैक ऋण के रूप में दी गई राशि शामिल नही हैं।

** ₹ 4,352.00 करोड़*

*** ₹ 11,746 करोड़*

वर्ष 2021-22 में, ₹ 30,500 करोड़ के बीस ऋण, 6.63 *प्रतिशत* से 7.43 *प्रतिशत* की ब्याज दर से, खुला-बाजार से उठाये गए थे जो वर्ष 2028-42 तक प्रतिदेय हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 14,101 करोड़ के ऋण तथा अन्य ऋणों के द्वारा ₹ 193 करोड़ उठाये। भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 2,776 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम लिया गया। इस प्रकार वर्ष 2021-22 में कुल आन्तरिक ऋण ₹ 47,570 करोड़ {पुराने खुला-बाजार कर्जों के ₹ (-) 2 करोड़ के समायोजन के अतिरिक्त} लिया गया। सरकार को ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 7,537 करोड़ भी प्राप्त हुए।

अध्याय-3

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय आवर्ति प्रकृति का होता है व इसका उपयोग सरकारी तंत्र के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है तथा इसे राजस्व प्राप्तियों से वहन किया जाना होता है। पूँजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा गया है : सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। इन खण्डों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों के व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :



3.2 राजस्व व्यय

विनियोग लेखों के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के दौरान, बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व व्यय की कमी का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बजट अनुमान	86,715	91,072	1,00,755	1,13,664	1,34,262
वास्तविक आंकड़े	73,491	77,365	85,180	90,671	99,441
अन्तर	13,224	13,707	15,575	22,993	34,821
वास्तविक आंकड़ों के अन्तर की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	15	15	15	20	26

(स्रोत- संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों में कमी (11 *प्रतिशत*) के कारण, राज्य सरकार को पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

वर्ष 2021-22 में राजस्व व्यय का लगभग 53 *प्रतिशत* प्रतिबद्ध व्यय पर जैसे वेतन (₹ 23,441 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 18,362 करोड़) तथा पेंशन (₹ 10,617 करोड़) पर खर्च किया गया जो कि राज्य सरकार के 'प्रतिबद्ध दायित्व' हैं।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:

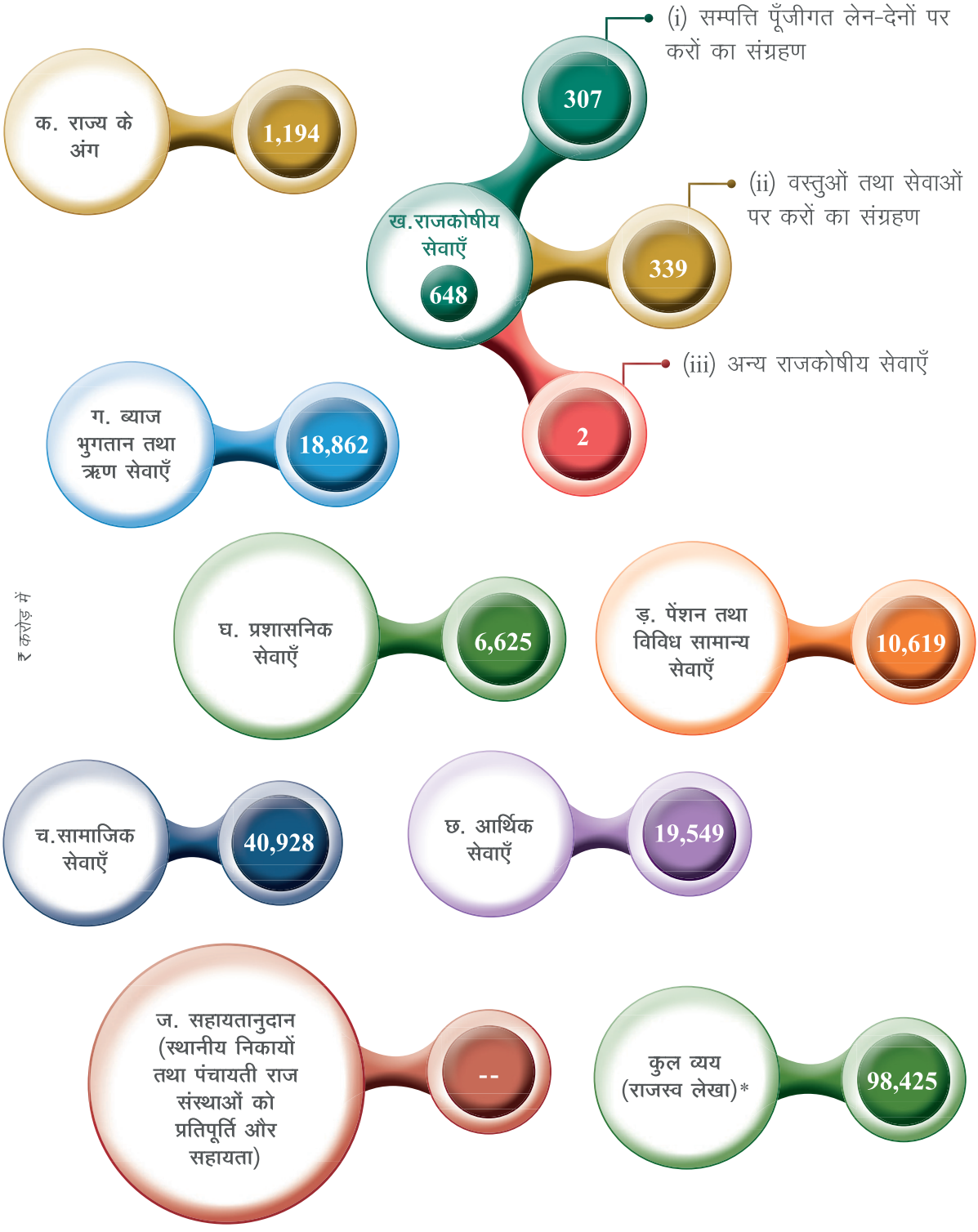
(₹ करोड़ में)

घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल राजस्व व्यय	73,257	77,155	84,848	89,946	98,425
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	38,548	41,103	46,142	48,789	52,420
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की कुल राजस्व व्यय से प्रतिशतता	*53*	*53*	*54*	*54*	*53*
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	34,709	36,052	38,706	41,157	46,005

प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज तथा पेंशन भुगतान पर किया खर्च सम्मिलित है।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में, वर्ष 2017-18 (₹ 34,709 करोड़) से वर्ष 2021-22 में (₹ 46,005 करोड़) 33 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्यय, वर्ष 2017-18 (₹ 73,257 करोड़) से वर्ष 2021-22 में (₹ 98,425 करोड़) 34 *प्रतिशत* बढ़ गया तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 36 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण (2021-22)



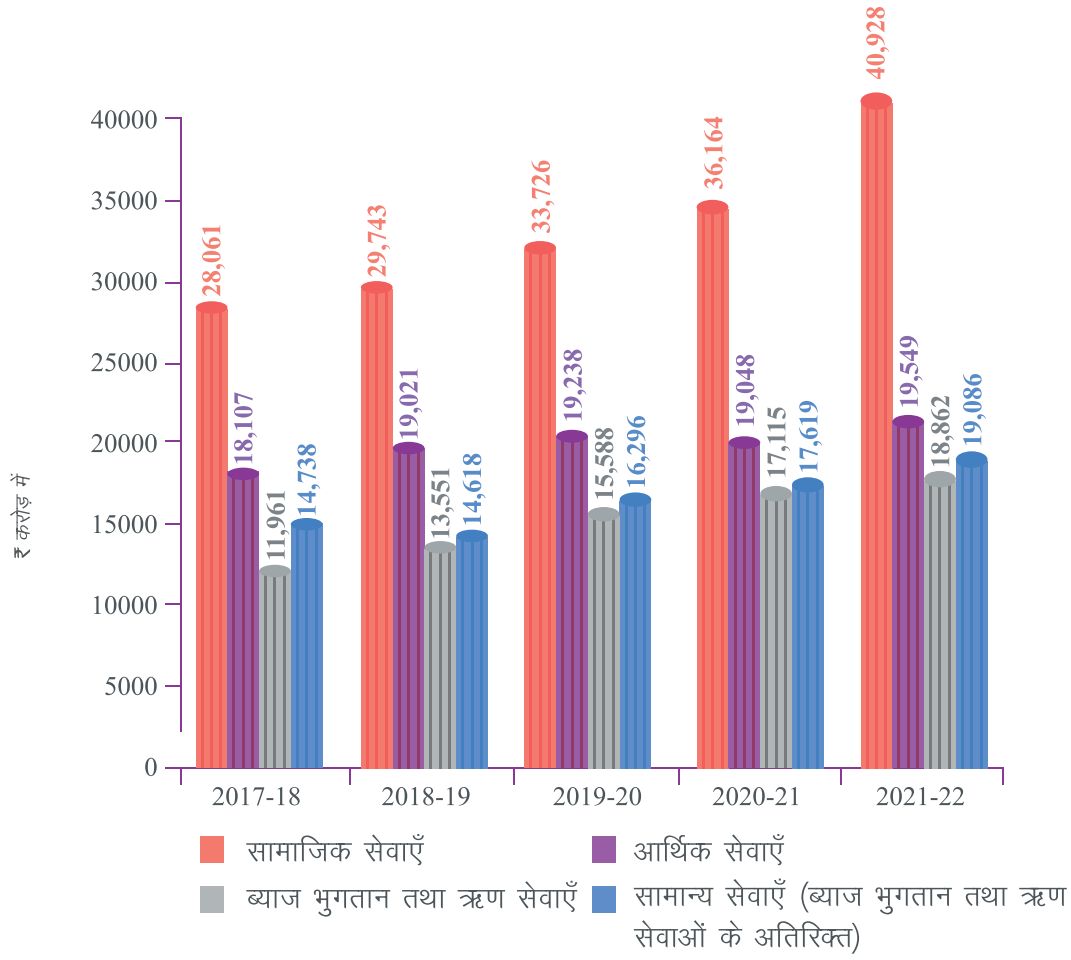
** (शुद्ध वसूलियाँ घटाने के बाद)*

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2017-18 से 2021-22)

(₹ करोड़ में)

घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामाजिक सेवाएँ	28,061	29,743	33,726	36,164	40,928
आर्थिक सेवाएँ	18,107	19,021	19,238	19,048	19,549
ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवाएँ	11,961	13,551	15,588	17,115	18,862
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवाओं के अतिरिक्त)	14,738	14,618	16,296	17,619	19,086

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों के रूझान



3.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय विकास प्रक्रिया को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यन्त जरूरी है। वर्ष 2021-22 में ₹ 11,046 करोड़ का पूँजीगत व्यय (जी. एस. डी. पी. का 1 *प्रतिशत*) बजट अनुमानों से ₹ 2,982 करोड़ कम था। वर्ष 2017-18 के बाद पूँजीगत व्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानंतर वृद्धि नहीं हुई (वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त) ।

यह निम्न सारणी से प्रतीत होता है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	बजट अनुमान*	11,122	19,573	19,563	14,055	14,028
2	वास्तविक पूँजीगत व्यय(#)	13,538	15,307	17,666	5,870	11,046
3	वास्तविक पूँजीगत व्यय से बजट अनुमानों की प्रतिशतता	122	78	90	42	79
4	पूँजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता	97	13	15	(-)67	88
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6,08,471	7,07,126	8,31,610	7,64,872	8,95,671
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता	11	16	18	(-)8	17

** आंकड़े विनियोग लेखों के अनुसार हैं जिसमें वसूली, व्यय की कमी के साथ में सम्मिलित है।*
इसमें ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2021-22 के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 1,487 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 962 करोड़ तथा मध्यम सिंचाई पर ₹ 525 करोड़) का व्यय किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर ₹ 2,619 करोड़ का खर्च किया तथा सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 366 करोड़ का निवेश किया। वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों तथा समितियों के द्वारा ₹ 67 करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया।

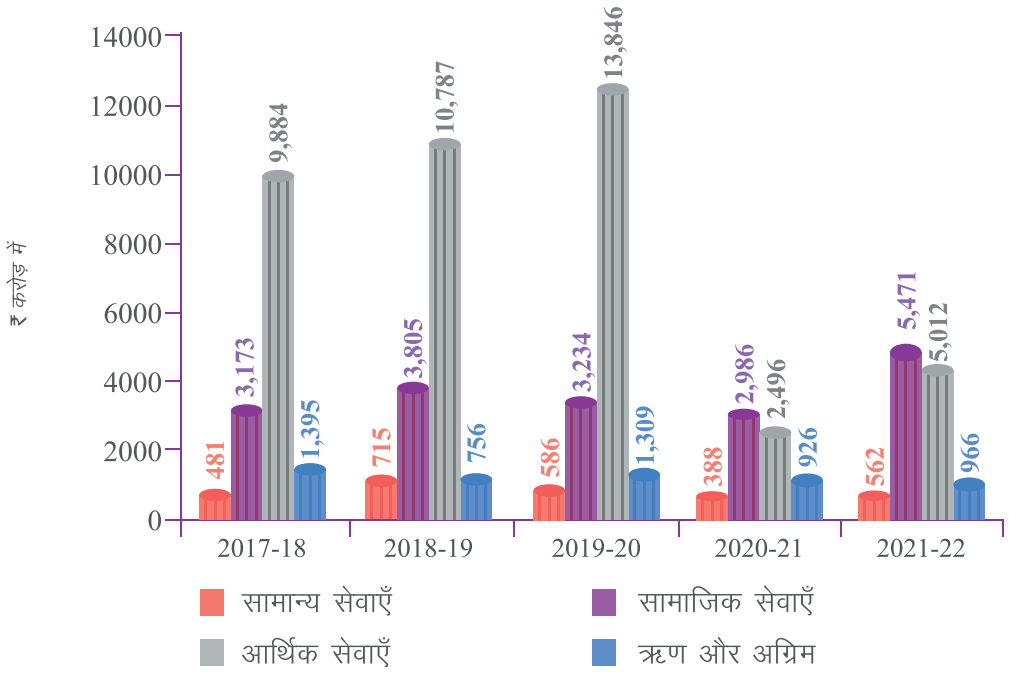
3.3.2. पिछले पाँच वर्षों में पूँजीगत व्यय का क्षेत्र-वार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएँ	481 (3)	715 (4)	586 (3)	388 (6)	562 (5)
सामाजिक सेवाएँ	3,173 (21)	3,805 (24)	3,234 (17)	2,986 (44)	5,471 (45)
आर्थिक सेवाएँ	9,884 (66)	10,787 (67)	13,846 (73)	2,496 (37)	5,012 (42)
ऋण तथा अग्रिम	1,395 (10)	756 (5)	1,309 (7)	926 (13)	966 (8)
कुल पूँजीगत व्यय	**14,933**	**16,063**	**18,975**	**6,796**	**12,011(क)**

नोटः कोष्ठकों में दर्शाये आंकड़े, कुल पूँजीगत व्यय से प्रतिशतता बताते हैं।
क) वास्तविक पूँजीगत व्यय से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

पूँजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण



3.3.3. पूँजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

विगत पाँच वर्षों में पूँजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्र-वार विवरण निम्न दिखाया गया है:

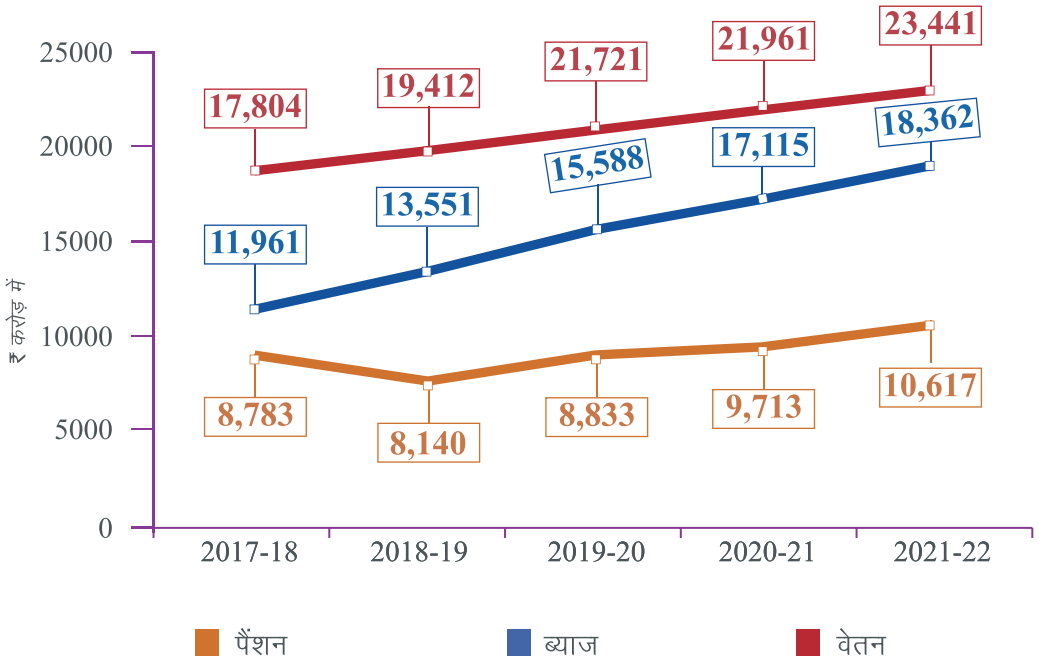
(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड	प्रवर्ग	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(क)	सामान्य सेवाएँ	पूँजीगत	481	715	586	388	562
		राजस्व	26,699	28,169	31,884	34,734	37,948
(ख)	सामाजिक सेवाएँ	पूँजीगत	3,173	3,805	3,234	2,986	5,471
		राजस्व	28,061	29,743	33,726	36,164	40,928
(ग)	आर्थिक सेवाएँ	पूँजीगत	9,884	10,787	13,846	2,496	5,012
		राजस्व	18,107	19,021	19,238	19,048	19,549
(घ)	सहायता अनुदान एवं अंशदान	पूँजीगत	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही
		राजस्व	390	222	--	--	--

3.4 प्रतिबद्ध व्यय

पिछले वर्ष के मुकाबले, 2021-22 में वेतन, ब्याज भुगतान तथा पेंशन पर व्यय में वृद्धि दर्ज की गई।

प्रतिबद्ध व्यय के रूझान



विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के साथ प्रतिबद्ध व्यय के तुलनात्मक रूझान निम्न प्रकार से है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
प्रतिबद्ध व्यय	38,548	41,103	46,142	48,789	52,420
राजस्व व्यय	73,257	77,155	84,848	89,946	98,425
राजस्व प्राप्तियाँ	62,695	65,885	67,858	67,561	78,092
प्रतिबद्ध व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	61	62	68	72	67
प्रतिबद्ध व्यय की राजस्व व्यय से प्रतिशतता	53	53	54	54	53

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक, प्रतिबद्ध व्यय में 36 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि उसी समय के दौरान, राजस्व व्यय 34 *प्रतिशत* बढ़ा जिस कारण, विकास कार्यों पर व्यय हेतु सरकार के पास कम धन उपलब्ध रहा ।

अध्याय-4

विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन के द्वारा समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय (निवल)	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	**राजस्व**						
	दत्तमत	97,894	16,164	33,432	80,626	80,844	(+)218
	प्रभारित	20,179	25	19,118	1,086	18,597	(+)17,511
2.	**पूँजीगत**						
	दत्तमत	26,278	4,710	8,004	22,984	24,242	(+)1,258
	प्रभारित	150		113	37	40	(+)3
3.	**लोक ऋण**						
	प्रभारित	28,161	..	..	28,161	25,473	(-)2,688
4.	**ऋण एवं अग्रिम**						
	दत्तमत	1,239	889	1,162	966	966	..
	जोड़						
	दत्तमत	**1,25,411**	**21,763**	**42,598**	**1,04,576**	**1,06,052**	**(+)1,476**
	प्रभारित	**48,490**	**25**	**19,231**	**29,284**	**44,110**	**(+)14,826**

4.2 विगत पाँच वर्षों में बचत /आधिक्य के रूझान

(₹ करोड़ में)

बचत (-) आधिक्य (+)					
वर्ष	राजस्व	पूँजी	लोक ऋण	कर्ज तथा पेशगियां	कुल
2017-18	(-) 13,224	(-) 4,988	(-) 3,606	(-) 209	**(-) 22,027**
2018-19	(-) 13,707	(-) 3,325	(-) 2,082	(-) 1,256	**(-) 20,370**
2019-20	(-) 15,575	(-) 6,164	(-) 4,482	(-) 373	**(-) 26,594**
2020-21	(-) 185	(+) 1,332	(-) 3,484	(+) 183	**(-) 2,154**
2021-22	(+) 17,729	(+) 1,261	(-) 2,688	..	**(+) 16,302**

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत प्रचुर बचत, कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन की ओर इंगित करती है।

विगत पाँच वर्षों के निरन्तर तथा महत्वपूर्ण निवल बचत वाले कुछ अनुदान निम्न प्रकार से है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
4	राजस्व	--	328	382	219	594
7	आयोजना तथा सांख्यिकी	122	332	191	211	88
8	भवन तथा सड़कें	1,464	1,142	1,374	1,014	477
9	शिक्षा	2,446	1,900	787	5,274	2,861
10	तकनीकी शिक्षा	--	68	58	178	80
11	खेलकूद तथा युवा कल्याण	226	119	130	220	239
12	कला एवं संस्कृति	--	10	122	110	49
13	स्वास्थ्य	849	920	760	1,746	1,648
14	नगर विकास	554	39	1,394	939	495
15	स्थानीय शासन	1,463	2,169	2,264	3,771	3,702
16	श्रम	--	5	7	8	18
17	रोजगार	--	45	70	245	189
18	उद्योगिक प्रशिक्षण	136	238	234	410	527
19	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो का कल्याण	369	335	232	145	155
21	महिला तथा बाल विकास	343	554	537	478	705
23	खाद्य एवं पूर्ति	--	294	973	3,248	3,030
25	उद्योग	242	357	63	80	162
26	खान एवं भू-विज्ञान	--	13	23	25	102
27	कृषि	649	957	1,543	1,703	1,342
28	पशुपालन तथा डेरी विकास	--	108	198	301	317
29	मछली पालन	43	33	23	56	51
30	वन तथा वन्य प्राणी	143	145	178	67	292
31	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	3	8	1	3	9
32	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	2,394	1,358	1,613	2,642	4,222
35	पर्यटन	52	25	12	15	86
37	निर्वाचन	38	31	171	30	55
39	सूचना तथा प्रचार	--	224	41	84	66
41	इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी	--	65	102	32	56
44	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	18	11	14	15	11
	लोक ऋण	3,606	2,082	4,482	4,167	2,688
45	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां	209	1,256	373	287	1,162

नोट :- गैर महत्वपूर्ण बचत को -- से दर्शाया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, खाद्य एवं पूर्ति, कृषि तथा ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास के अधीन निरन्तर व्यापक बचतें, योजनाओं को क्रियान्वयन के समय कम-प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विद्यायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह बढ़े हुए बजट-अनुमानों अथवा अपने राजकोषीय घाटे को सीमा के अन्दर रखने की सरकार की इच्छा के परिपेक्ष में हो सकता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, कुछ मामलों में, कुल ₹ 21,788 करोड़ के अनुपूरक अनुदान (सकल व्यय ₹ 1,50,162 करोड़ का 14.51 *प्रतिशत*) अनावश्यक सिद्ध हुए। वर्ष के अन्त में, मूल बजट के विरूद्ध हुई बचतों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
4	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 80- सामान्य 001- निदेशन तथा प्रशासन 95- कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) राजस्व विभाग	राजस्व	..	839	..
13	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105- ऐलोपैथी 72- कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग	राजस्व	..	376	..
13	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105- ऐलोपैथी 86- कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग	पूंजीगत	200	161	..
15	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 001- निदेशन तथा प्रशासन 91- कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) शहरी स्थानीय निकाय विभाग	राजस्व	10	1,501	..
15	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 192-नगर पालिका/ नगर परिषदों के लिए सहायता 87- सुन्दर शहर	राजस्व	200	336	136
15	2217- शहरी विकास 80- सामान्य 192-नगर पालिका/ नगर परिषदों के लिए सहायता 88- स्वच्छ भारत मिशन	राजस्व	200	165	200

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
18	2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास 03- प्रशिक्षण 001- निदेशन तथा प्रशासन 92- हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना	राजस्व	10	230	5
27	2401- फसल कृषि क्रम 108- वाणिज्यिक फसलें 79- हेफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत जी.एस.टी. प्लस मार्किट फीस के लिए प्रतिपूर्ति	राजस्व	323	323	..
32	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102- सामुदायिक विकास 93- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छता योजना	राजस्व	240	292	100
33	2425- सहकारिता 107- क्रेडिट सहाकरी समितियों को सहायता 85- हरियाणा कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक एवं हरको बैंक को रिकवरी लिंकड़ इंसेंटिव हेतु एक मुश्त योजना	राजस्व	37	703	37
34	3055- सड़क परिवहन 001- निदेशन तथा प्रशासन 97- कार्य प्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) ट्रांसपोर्ट विभाग	राजस्व	27	178	..
36	2055- पुलिस 001- निदेशन तथा प्रशासन 98- कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) पुलिस विभाग	राजस्व	1	1,276	..
38	2215- जलापूर्ति तथा सफाई 01- जलापूर्ति 001- निदेशन तथा प्रशासन 89- कार्यप्रगति से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	राजस्व	1	443	..

अध्याय-5

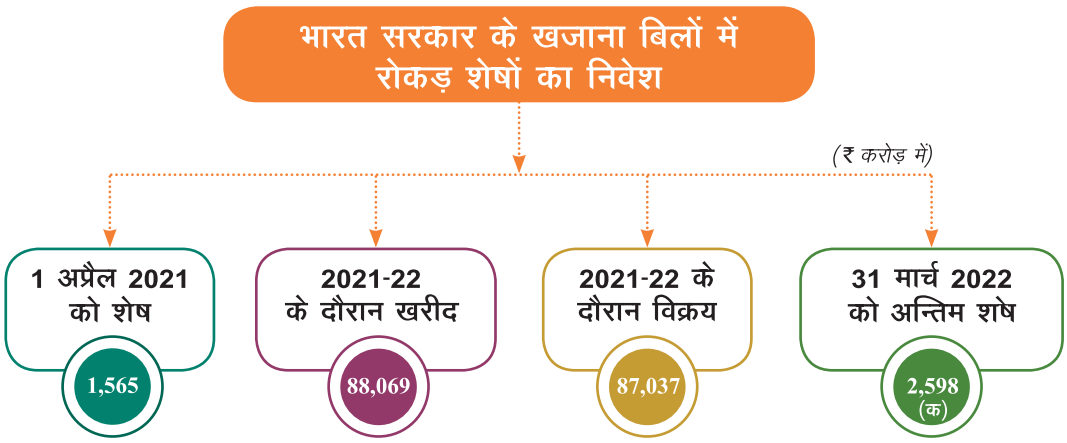
परिसम्पत्तियाँ तथा दायित्व

5.1 परिसम्पत्तियाँ

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन को, अर्जन/खरीद के वर्ष को छोड़कर, सही तरह नहीं दर्शाता। इसी प्रकार, जैसे लेखे केवल चालू-वर्ष की देनदारियों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, पर वे भावी पीढ़ीयों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते। वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं।

वर्ष 2021-22 के अन्त में, गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर-पूँजी के रूप में कुल निवेश, ₹ 37,866 करोड़ था। जबकि वर्ष के दौरान, ₹ 1,008 करोड़ (कुल निवेश का 2.66 *प्रतिशत*) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2021-22 के दौरान, निवेश में ₹ 299 करोड़ (निवल) की तथा लाभांश में ₹ 845 करोड़ की वृद्धि हुई।

1 अप्रैल 2021 को, भारतीय रिजर्व बैंक का रोकड़ शेष ₹ (-) 463 करोड़ था जो मार्च 2022 के अन्त तक बढकर ₹ (-) 371 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 में, सरकार ने 129 अवसरों पर, ₹ 88,069 करोड़ का 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹ 87,037 करोड़ के मूल्य का, 189 अवसरों पर खजाना बिलों का पुनः बट्टा चुकाया। वर्ष 2021-22 के दौरान निवेश की स्थिति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है:



(क) वास्तविक रोकड़ शेषों के निवेश से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

5.2 ऋण तथा दायित्व

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को, राज्य की समेकित निधि की अभिरक्षा पर, एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, यदि कोई है, उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः

वर्ष	लोक ऋण *(₹ करोड़ में)*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	लोक लेखा (*) *(₹ करोड़ में)*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता	कुल दायित्व *(₹ करोड़ में)*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता
2017-18	1,39,754	23	24,322	4	1,64,076	27
2018-19	1,56,835	22	27,381	4	1,84,216	26
2019-20	1,85,491	22	30,071	4	2,15,562	26
2020-21	2,05,458**	27	33,250	4	2,38,708	31
2021-22	2,27,697***	25	36,254	4	2,63,951	29

() उचन्त और प्रेषण शेष से बाहर है।*

नोटः 1. भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ.न. 40(1)पी.एफ.-एस. /2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 के अनुसार, लोक ऋणों में जी.एस.टी. मुआवजे की कमी के एवज में बैक टू बैक ऋण के रूप में दी गई राशि शामिल नही हैं।

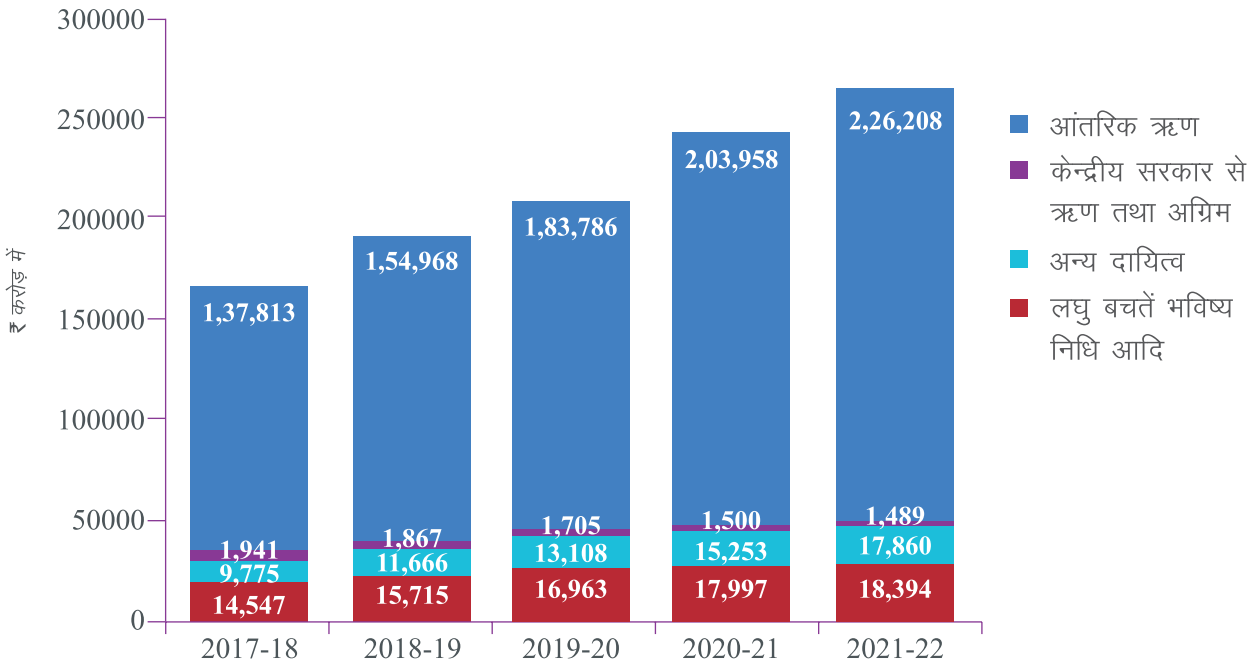
*** ₹ 4,352.00 करोड़*

**** ₹ 11,746 करोड़*

2. आंकड़े वर्ष के अन्त तक प्रगतिशील शेष हैं ।

2021-22 में लोक ऋण तथा कुल दायित्वों में, पिछले वर्ष से, ₹ 25,243 करोड़ (11 *प्रतिशत*) की निविल वृद्धि हुई है।

सरकारी देनदारियों के रूझान



5.3 गारंटियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु, बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटियां भी देती हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा ली गई ऋण पूँजी तथा उस पर ब्याज जिनके लिए गारंटी दी गई थी, की अदायगी न कर पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व होती हैं। इन गारंटियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उन पर ब्याज की अदायगी) के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विगत पाँच वर्षों की स्थिति नीचे दी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	गारंटी की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अन्त में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2017-18	19,000	14,138*	उपलब्ध नही
2018-19	20,654	18,220*	उपलब्ध नही
2019-20	22,560	20,738*	उपलब्ध नही
2020-21	25,492	23,053*	उपलब्ध नही
2021-22	30,579	24,343*	उपलब्ध नही

** मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।*

नोटः विस्तृत विवरण, वित्त लेखे की विवरणी संख्या 20 में उपलब्ध है तथा यह राज्य सरकार, वित्त विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

अध्याय-6

अन्य मदें

6.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की गारंटियां भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार के खातों में ये प्रकट नहीं होते। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी लेखों में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की कम बयानी प्रदर्शित होती है। 31 मार्च 2022 को, हरियाणा राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2021-22 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 8,350.07 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इनमें से, सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को प्रदत्त ऋणों तथा अग्रिमों की राशि ₹ 8,222.38 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के अन्त मे ₹ 55.25 करोड़ मूलधन की वसूली लम्बित थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की बकाया राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। वर्ष 2021-22 के दौरान, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली के तौर पर ₹ 500.24 करोड़ की राशि (विद्युत वितरण कम्पनियों के ₹ 240.43 करोड़ सहित) प्राप्त हुई, जिसमें से ₹ 183.23 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की है। बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम, सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायक होंगे ।

6.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों, स्वायत्त-निकायों आदि को दिए गए सहायतानुदानों की राशि वर्ष 2017-18 के ₹ 9,844 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 12,446 करोड़ हो गयी। जिला परिषदों (पंचायती राज संस्थानों) तथा नगरपालिकाओं/नगर-परिषदों को दिए गए अनुदान (₹ 4,427 करोड़), वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 36 *प्रतिशत* हैं।

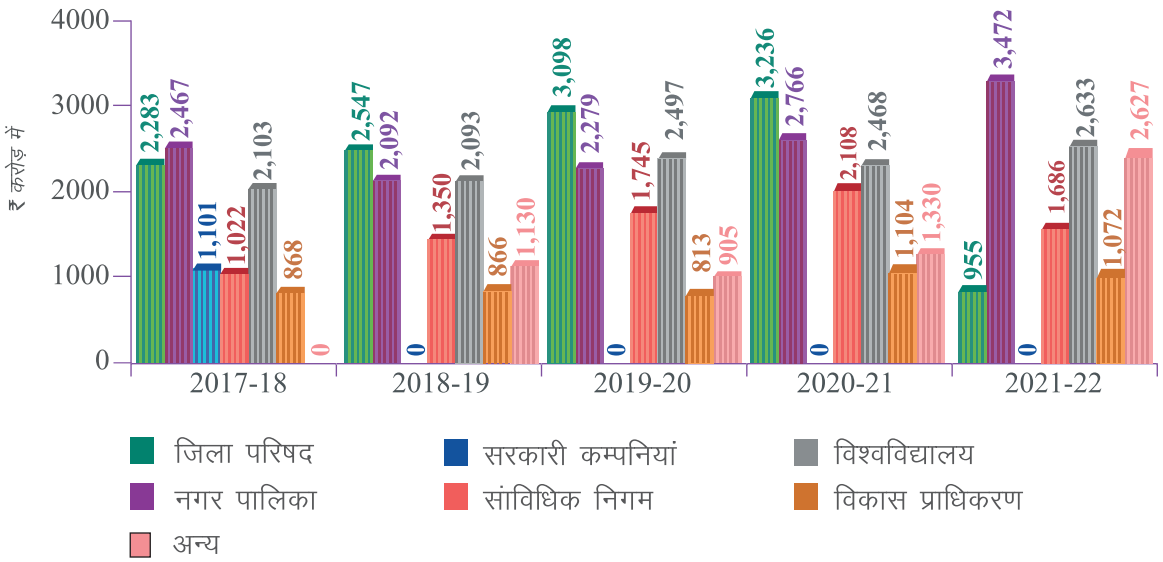
विगत पाँच वर्षों में दिए गए सहायतानुदानों का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	जिला परिषद	2,283	2,547	3,098	3,236	955
2	नगर पालिका	2,467	2,092	2,279	2,766	3,472
3	सरकारी कम्पनियां	1,101	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	सांविधिक निगम	1,022	1,350	1,745	2,108	1,686
5	विश्वविद्यालय	2,103	2,093	2,497	2,468	2,633
6	विकास प्राधिकरण	868	866	813	1,104	1,072
7	अन्य	शून्य	1,130	905	1,330	2,627
	जोड़	9,844	10,078	11,337	13,012	12,445(क)

(क) वास्तविक कुल सहायतानुदान से ₹ 1 करोड़ का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

प्रदत्त सहायतानुदान



विगत पाँच वर्षों में पूँजीगत सम्पतियों के सृजन के लिए आंवटित सहायतानुदानों का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	जिला परिषद	1,545	2,336	2,991	3,105	868
2	नगर पालिका	2,145	1,028	1,387	2,188	2,482
3	सरकारी कम्पनियां	14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	सांविधिक निगम	117	43	16	21	409
5	विश्वविद्यालय	153	183	173	38	94
6	विकास प्राधिकरण	133	143	156	151	175
7	अन्य	शून्य	142	140	206	118
	जोड़	4,107	3,875	4,863	5,709	4,146

6.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2021 की स्थिति	31 मार्च 2022 की स्थिति	निवल बढौतरी (+) /कमी (-)
रोकड़ शेष	(-) 463	(-) 371	92
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	1,565	2,598	1,033
चिन्हित निधियों के शेष से निवेश	2,043	2,715	672
(क) निक्षेप निधि	717	1,284	567
(ख) गारंटी विमोचन निधि	1,323	1,429	106
(ग) अन्य निधियाँ	3	2	(-)1
वर्ष के दौरान वसूल ब्याज	30	25	(-)5

31 मार्च 2022 को, राज्य सरकार का रोकड़ शेष नकारात्मक था। रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज, वर्ष 2020-21 के ₹ 30 करोड़ की तुलना में, वर्ष 2021-22 में ₹ 25 करोड़ (17 *प्रतिशत* कम) प्राप्त हुआ।

6.5 प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

व्यय पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण, उसे बजट अनुमान के भीतर रखने एवं अपने लेखों को सही रखने के लिए, सभी नियंत्रक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा लेखाबद्व किए गए आंकड़ों के साथ करें। वर्ष के दौरान, ₹ 78,158.85 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) की प्राप्तियों एवं ₹ 1,09,470.60 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 100 *प्रतिशत*) के व्यय का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया।

6.6 लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों द्वारा लेखों का प्रेषण

वित्त लेखे 2021-22, हरियाणा सरकार के 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की समयावधि के लेन-देन को दर्शाते हैं। हरियाणा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का संकलन 24 कोषालयों, 117 लोक निर्माण (59 भवन तथा सड़कें, 58 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) मण्डलों, 86 सिंचाई मण्डलों, 40 वन मण्डलों, 38 वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है। लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखों की प्राप्ति संतोषजनक है एवं वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा छोड़ा नहीं गया है। प्राथमिक संकलन कोषालय द्वारा एवं द्वितीयक संकलन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा किया जाता है।

6.7 असमायोजित सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल

सरकारी खजाने से कोई धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो। अप्रत्याशित परिस्थितियों में, धन की अग्रिम आवश्यकता होने अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) के लिए आवश्यक राशि की सही गणना संभव नही होने पर, वे सेवा शीर्षों को नामे करते हुए, संबंधित प्रपत्र संलग्न किए बिना, सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिलों के माध्यम से धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत हैं। इसके बाद, डी.डी.ओ. द्वारा उद्देश्य की पूर्ति (जिसके लिए अग्रिम आहरित किया गया था) की तारीख से एक महीने के भीतर, अंतिम व्यय से संबंधित वाउचर सहित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकता (डी.सी.सी.) बिल, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31 मार्च 2022 तक, असमायोजित ए. सी. बिलों (जिन के डी.सी.सी. बिल अभी प्रस्तुत किए जाने हैं) का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित ए. सी. बिल	
	संख्या	राशि *(₹ करोड़ में)*
2020-21 तक	393	147.34
2021-22	460	392.68
जोड़	**853**	**540.02**

पंजाब वित्तीय नियमावली खंड-1 (जो कि हरियाणा राज्य में लागू है) के पैरा 8.9 के अनुसार, नियंत्रक अधिकारियों को डी.सी.सी. बिलों को सीधे प्रधान महालेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। परन्तु, डी.सी.सी. बिलों को, डी.डी.ओ. /कोषालय कार्यालयों के माध्यम से, मासिक/द्वि-मासिक लेखों के भाग के रूप में प्रस्तुत करने की वर्तमान प्रक्रिया पंजाब वित्तीय नियमावली के अनुरूप नहीं है।

6.8 उचंत तथा प्रेषण शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। 31 मार्च 2022 को, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से लंबित नामे एवं जमा शेषों को जोड़ते हुए, इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, दो शीर्षों (8658 तथा 8782) के अंतर्गत ₹ 575.05 करोड़ (जमा) था।

इन शीर्षों के अंतर्गत, बकाया शेषों का समाशोधन न होना, राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकडों तथा शेषों (जिन्हें वर्ष दर वर्ष आगे ले जाया जाता है) की सार्थकता को प्रभावित करता है।

6.9 सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू. सी.) प्राप्त न होना

पंजाब वित्तीय नियमावली खंड-1 (जो कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14 के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाले अधिकारी को प्राप्त सहायतानुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) अनुदान स्वीकृति के वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 12 महीने के भीतर प्राधिकारी जिसने इसे स्वीकृत किया था, को प्रस्तुत करना चाहिए। यू.सी. प्रस्तुत न करने के कारण, इस बात का जोखिम बना रहता है कि वित्त लेखे में दर्शायी गई राशि लाभार्थियों तक ना पहुंची हो।

31 मार्च 2022 तक बकाया यू.सी. की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष (*)	बकाया यू. सी. की संख्या	राशि *(₹ करोड़ में)*
2020-21 तक	2,181	13,031.78
2021-22	650	5,269.24
जोड़	**2,831**	**18,301.02**

* *उपरोक्त वर्णित वर्ष ''देय वर्ष'' अर्थात वास्तविक आहरण के वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 12 माह के भीतर से संबंधित है।*

6.10 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

01 जनवरी 2006 या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* अंशदान करता है तथा राज्य सरकार द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* (1 जनवरी 2022 से 14 *प्रतिशत*) अंशदान दिया जाता है तथा सारी राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित (एन.एस.डी.एल.)/अमानती बैंक के माध्यम से मनोनीत निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, एन.पी.एस. में कुल योगदान ₹1,815.01 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹ 875.35 करोड़ तथा सरकार का अंशदान ₹ 939.66 करोड़) था। सरकार ने लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8342-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत ₹ 1,839.41 करोड़ हस्तांतरित किए।

6.11 व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों को धन का हस्तांतरण

पी.डी. खाते नामित आहरण अधिकारियों को राज्य की समेकित निधि में सेवा शीर्षों को नामे करके तथा मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा एवं लघु शीर्ष 106-व्यक्तिगत जमा के तहत व्यक्तिगत जमा खाते में जमा करके एक योजना से संबंधित विशिष्ट प्रयोजनों हेतु खर्च करने में सक्षम बनाते हैं। पी.डी. खातों के प्रशासकों को वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को ऐसे खातों को बंद करके अव्ययित शेषों को समेकित निधि में वापस हस्तांतरित करना चाहिए।

अन्य पी.डी. खातों के लिए (जो समेकित निधि के अतिरिक्त अन्य से खोले गए), यदि कोई पी.डी. खाता तीन वर्ष तक परिचालित नहीं किया जाता तो उसे बन्द कर देना चाहिए। पी.डी. खातों के प्रशासकों को, अपने शेषों का मिलान/सत्यापन कोषालय के आंकड़ों के साथ करना चाहिए तथा वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र, कोषालय अधिकारी के माध्यम से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को भेजना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा।

2021-22 के दौरान, इन पी.डी. खातों में ₹2,998.05 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। इसमें मार्च 2022 में हस्तांतरित किए गए ₹ 661.33 करोड़ (22.06 *प्रतिशत*) की राशि शामिल है।

31 मार्च 2022 को पी.डी. खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2021 को आरंभिक शेष		वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि		वर्ष 2021-22 के दौरान बंद/निकासी		31 मार्च 2022 को अंतिम शेष	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
164	1,871.17	1	2,998.05	6	1,149.36	159	3,719.86

6.12 आरक्षित निधियों की स्थिति

आरक्षित निधियों का ब्योरा वित्त लेखों की विवरणी 21 तथा 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए 11 आरक्षित निधियाँ रखी गई हैं। इन निधियों में 31 मार्च 2022 के अंत तक कुल संचित शेष ₹ 8,848.92 करोड़ था। इसमें से ₹ 5,756.67 करोड़ ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अंतर्गत तथा ₹ 3,092.25 करोड़ बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अंतर्गत था।

6.12.1 ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ

6.12.1(क) राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.)

राज्य आपदा राहत निधि (मुख्य शीर्ष-'8121 सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों' के अंतर्गत जो कि ब्याज वाले अनुभाग के अंतर्गत आती है) के गठन तथा संचालन पर दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय व राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपातानुसार अंशदान देना आवश्यक है। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 392.80 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 130.93 करोड़ बनता है। राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में ₹ 800.30 करोड़ (केंद्रीय भाग ₹ 392.80 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹ 130.93 करोड़, ब्याज ₹ 233.57 करोड़ तथा विभागीय अधिकारियों के पास अव्ययित पड़े ₹ 43.00 करोड़) की राशि हस्तांतरित की गई। केंद्रीय सरकार से राज्य को एन.डी.आर.एफ. के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

6.12.1(ख) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को क्षतिपूरक वनीकरण करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन राशियों के लिए, राज्य के लोक लेखा में ब्याज वाली अनुभाग के अंतर्गत राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि स्थापित करना आवश्यक है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को न तो उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई राशि प्राप्त हुई और न ही इसने राष्ट्रीय निधि को कोई राशि प्रेषित की। सरकार को राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा से भी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। 31 मार्च 2022 को राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष राशि ₹ 934.67 करोड़ थी।

6.12.2 बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ

6.12.2(क) समेकित निक्षेप निधि

हरियाणा सरकार ने 2002 में ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य गत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा) का न्यूनतम 0.5 *प्रतिशत* अंशदान समेकित निक्षेप निधि में कर सकते हैं। वर्ष 2021-22 में, सरकार ने निधि को किए जाने वाले ₹ 1,186.04 करोड़ के अंशदान के मुकाबले केवल ₹ 500.00 करोड़ का अंशदान दिया। 31 मार्च 2022 को निधि का कुल अधिशेष ₹ 1,286.08 करोड़ था।

6.12.2(ख) गांरटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने आर.बी.आई. के संचालन में गारंटी मोचन निधि का गठन किया था। वर्ष 2020-21 से प्रभावी, राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना के नवीनतम संशोधन के अनुसार राज्य सरकार, शुरू में गत वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक प्रतिशत तथा उसके बाद 0.5 *प्रतिशत* की दर से अंशदान करेगी ताकि अगले पाँच वर्षों में न्यूनतम तीन प्रतिशत के बराबर निधि उपलब्ध हो सके। निधि को धीरे-धीरे पाँच *प्रतिशत* के वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा। वर्ष के दौरान, सरकार ने निधि को किए जाने वाले ₹ 115.27 करोड़ के अंशदान के मुकाबले कोई अंशदान नहीं दिया। 31 मार्च 2022 को निधि का कुल अधिशेष ₹ 1,428.51 करोड़ था।

6.12.3 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

हरियाणा में दो निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	निधि का नाम	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	राशि *(₹ करोड़ में)*
1	विकास योजना के लिए निधि	8229	200	1.41
2	हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण निधि	8229	200	2.29

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2022

www.cag.gov.in

www.aghry.gov.in